RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01/2026 **GCMS NO 2026/1**

प्रार्थी– **बनाम** **अप्रार्थीगण–**

1. श्री देवाराम पुत्र मेघाराम जाति पालीवाल निवासी, भांडियावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत भांडियावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
2. श्री भंवरराम पुत्र पेमाराम जाति पालीवाल, निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 43 दिनांक 05.04.2018 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मुनीर अली पठान, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रूघाराम कड़वासरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध दिनांक 06.01.2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 भंवरराम पुत्र पेमाराम के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा भांडियावास में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 43 दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

08.04.2018 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 200 वर्गगज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 30 फीट गली, बदिशा दक्षिण में 30 फीट व आम रास्ता व सामने शंकरराम का रहवास, पूर्व में 60 फीट रामाराम/गोपाराम एवं पश्चिम में 60 फीट व गली आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत भांडियावास से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस व लिखित बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी का कब्जासुदा व पटटासुदा रहवासीय भूखण्ड पालीवालो का वास गांव भांडियावास में ठाकुरजी मंदिर के पास आया हुआ है, जिसका विक्रय पटटा संख्या 14 दिनांक 05.08.2017 को ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी कर रखा है। आज से करीब 45 वर्ष पहले प्रार्थी के पिता मेघाराम ने आबादी क्षेत्र भांडियावास से ठाकूरजी मंदिर के पास वाड़ा बना रखा था, जिसमे प्रार्थी के पिता ने पशुधन, जलाऊ लकडियां, पशुओ का चारा तथा वाडा के चारो तरफ कांटो की बाड़ (चारदिवारी) की हुई है। इस वाडे के बदिशा दक्षिण की तरफ प्रार्थी के पिता ने धीरे धीरे कच्ची पक्की तामीरात का निर्माण करवाकर प्रार्थी के पिता ने भूखण्ड पर अपना रहवास किया, जिस पर आज भी प्रार्थी के परिवार का रहवास व कब्जा है। पिछले करीब 45 वर्षों से उक्त भूखण्ड बिना किसी रोक टोक के लगातार कब्जा चला आ रहा है, जिसमे कभी भी अप्रार्थी सं. 2 व अन्य किसी ने प्रार्थी के कब्जे व रहवास में दखल नही किया। प्रार्थी ने अपने पिता के कब्जासुदा भूखण्ड में से 30 बाई 60 फिट भूमि पर बदिशा दक्षिण–पूर्व की तरफ पुरानी तामीर का पटटा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत भांडियावास मे प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर ग्राम पंचायत ने पटटा संख्या 14 दिनांक 05.08.2017 को जारी कर उप पंजियक कार्यालय में पंजिबद्ध करवा दिया। तत्पश्चात् इसी तरह से प्रार्थी के भाई ताराचंद ने अपने पिता के कब्जासुद भूमि पर बदिशा दक्षिण–पश्चिम की तरफ 30 बाई 60 फिट भूमि का पटटा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत भांडियावास मे आवेदन किया, जिस पर पटटा

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 15 दिनांक 05.08.2017 को जारी कर उप पंजियक कार्यालय में पंजिबद्ध करवा दिया गया। दिनांक 20.09.2022 को अप्रार्थी सं. 2 भंवराराम ने प्रार्थी के उक्त कब्जासुद भूखण्ड पर आया तथा उसने प्रार्थी को बताया कि आपके पिता के कब्जासुद भूखण्ड मे उसकी पटटासुद भूमि आई हुई है, जहां पर प्रार्थी का कब्जा व रहवास है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के कथनानुसार ग्राम पंचायत भांडियावास से पता किया तो पता चला कि अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को जारी पटटा दिनांक 05.08.2017 की भूमि का दुबारा पटटा वर्ष 2018 मे गैर अप्रार्थी 2 के नाम जारी किया गया है, जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम का पटटा गलत तौर से जारी किया है। प्रार्थी के नाम का पटटा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटटा संख्या 14 दिनांक 05.08.2017 को जारी कर उप पंजियक कार्यालय पचपदरा में पंजिबद्ध करवा दिया तो उसी भूमि का वर्ष 2018 में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा जारी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। अप्रार्थी संख्या 2 भंवराराम के हक मे जारी पश्चातवर्ती पटटा संपति मे कोई अधिकार सृजित नही रहेगा, जिससे पश्चातवर्ती पटटा प्रार्थी के हको के विरूद्ध शुन्य व अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के विधिक कब्जे मे दखल करने से प्रार्थी के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा निगराकार अपने भूखण्ड के जायज उपयोग व उपभोग से वंचित रह जायेगा जिससे प्रार्थी को अपार क्षति व असुविधा होगी। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पटटे में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे व स्वामित्व की नहीं रही है। अप्रार्थी संख्या 2 मूल रूप से ग्राम भांडियावास का है, जिसका निवास व रहवास सरहद भांडियावास मे स्थित खेत में है। अप्रार्थी संख्या 2 का कभी भी विवादित भूमि पर काबिज नही रहा, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में धारा 157 (ख) पंचायत राज अधिनियम के तहत जारी पटटा कानूनी रुप से जारी नही किया जा सकता, क्योकि विवादित भूमि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी मेघाराम व रूखमीदेवी के हक हिस्से की भूमि थी जो कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 के विधिक कब्जे मे नही रही, न ही अप्रार्थी संख्या 2 के हक मे विवादित भूमि का कोई हक हिस्सा कभी भी बेचान, हस्तांतरण वगैरा नहीं किया गया। पंचायतराज अधिनियम की धारा 157 (ख) के तहत मौके पर 20 वर्षों से पुश्तैनी रुप से कब्जा कायम रहने व रहवास होने पर ही पटटा जारी किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा पंचायतीराज नियमों अवहेलना करते हुए जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में नियम विरूद्ध पटटा जारी दिनांक 05.04.2018 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस व लिखित बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखता है। चूंकि धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम मे राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही आवेदन किये जाने के सबंध में स्पष्ट उल्लेख दिये गये है, किन्तु प्रार्थी न ही हस्तगत प्रकरण मे उल्लेखित पटटासुद भूखण्ड का हितबद्ध पक्षकार है न ही प्रार्थी का कोई हक अधिकार उक्त भूखण्ड पर कभी रहा है। प्रार्थी ने उक्त निगरानी ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा जारी पटटा कमांक 43 बुक संख्या 30, मिसल संख्या 95 दिनांक 05.04.2018 जो कि उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा मे दिनांक 24.01.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 225 में पृष्ठ सं. 102. कम संख्या 201903082100127 पर पटटा पंजिबद्ध किया गया, के सबंध में श्री न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त पटटे को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है, जबकि इसी अनुक्रम मे प्रार्थी देवाराम के नाम से ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा जारी पटटा कमांक 14 बुक संख्या 30, मिसल संख्या 67 दिनांक 05.08.2017 को जारी किया गया है जो अपंजिकृत पटटा है। उक्त निगरानी मे उल्लेखित पटटा संख्या 43 एक पंजिकृत पटटा दस्तावेज है जिसे श्री न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से पुनरिक्षण एवं निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज पंजिबद्ध होने से इसके सबंध में उत्पन्न सभी विवादो का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतोएवं माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के विभिन्न न्याय निर्णयो मे प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार जिला कलेक्टर को किसी भी पंजिबद्ध पटटा विलेख के सबंध में निगरानी, ऐसे दस्तावेज को रदद करने हेतु कोई क्षेत्राधिकार नही है। ऐसी कार्यवाही केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही की जा सकती है। उक्त निगरानी क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार बाधित होने के बावजुद भी प्रार्थी द्वारा ने श्रीमान न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत की है जो कि उक्त पटटा दस्तावेज पंजियन दिनांक 24.01.2019 से करीब 7 साल बाद प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर पेश की गई है। निगरानी पेश करने में हुई देरी के सबंध मे निगराकार ने कोई उचित कारण नहीं दर्शाया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 मे पंचायतो के आदेशो की अपीलो के सबंध में स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित किये गये है कि पंचायत के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की अपील अधिकारित रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर कर सकेगा। प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए कभी भी कोई अपील सबंधित पंचायत समिति मे नहीं की है है। प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97

जिला कलक्टर

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध पटटा सं. 43 दिनांक 05.04.2018 को निरस्त करने हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जबकि उक्त निगरानी मे उल्लेखित ग्राम सभा मे पारित संकल्प संख्या 2 मे पारित आदेश को चूनौति नहीं देकर केवल मात्र पटटा सं. 43 को निरस्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रस्तुत की है, चूंकि पटटा सं. 43 पंजिकृत पटटा है एवं यह दस्तावेज केवल उक्त संकल्प की साक्ष्य देने वाला पंजिकृत दस्तावेज है। उक्त पटटा दस्तावेज पंजिकृत दस्तावेज होने से ऐसे दस्तावेज को केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही चूनौति दी जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कभी भी ग्राम पंचायत भांडियावास के साथ कोई मिलीभगत नहीं की गयी। ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के उक्त पटटा सं. 43 के सबंध में सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए एवं पंचो द्वारा जांच करते हुए यह पटटा जारी किया गया जो बाद मे ग्राम पंचायत भांडियावस द्वारा जारी पटटा क्रमांक 43 दिनांक 05.04.2018 जो उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा मे दिनांक 24.01. 2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 225 मे पृष्ठ सं. 102, कम संख्या 201903082100127 पर पटटा पंजिबद्ध किया गया। उक्त पटटे के सबंध मे ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पटटा गैरनिगराकार सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त पटटासुद् भूखण्ड मे आवासीय मकान बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 का रहवास ग्राम भांडियावास मे है। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त ग्राम की आबादी भूमि मे पुराने कब्जासुद मकान के अनुसार ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा विधि अनुसार गैरनिगराकार सं. 2 के पक्ष में पटटा सं. 43 जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत भांडियावास को पूर्ण अधिकार राज. पंचायतीराज अधिनियम मे है। चूंकि उक्त पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा नियम 148 मे उल्लेखित प्रारूप 22 अनुसार आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सबंध मे आक्षेप आमन्त्रित करने के बावजुद भी निगराकार अथवा अन्य किसी ग्रामवासी द्वारा आक्षेप प्रस्तुत नहीं करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में यह पटटा विधि अनुसार जारी किया गया जो पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

6. हमने पत्रावली में उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की मुख्य आपति यह है कि विवादित भूखण्ड पर पूर्व में जारी पट्टे के ऊपर अप्रार्थी संख्या 2 ने कूटरचित तरीके से दूसरा पट्टा बनवा लिया है तथा उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है। प्रार्थी के अनुसार उक्त भूखण्ड उसके विधिक

जिला कलक्टर
बालोतरा

अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व का है और उनके पास इसके वैध पंजीकृत दस्तावेज मौजूद हैं। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत भांडियावास के पत्र में अवगत कराया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित पट्टा बूक व बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है एवं उक्त पट्टे संबंधी मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, का अंकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 05.02.2018 में अंकित होना तथा दिनांक 05.04.2018 को जारी होना बताया गया। मूल पट्टा में भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 43 दिनांक 05.04.2018 को पंचायतीराज के नियम 157 (क) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी होना बताया गया। संबंधित ग्राम पंचायत से विवादित भूखण्ड की मूल मिसल प्राप्त नहीं हुई है, जिसके अभाव में पट्टे की वैधानिकता और जारी होने के क्रम की जांच संभव नहीं है। आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित मौका निरीक्षण रिपोर्ट, आपति आंमत्रित इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं हैं। इस प्रकार मिसल के अभाव में आलौच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है। इसके अलावा दोनों ही पक्षकारान (प्रार्थी एवं अप्रार्थी) अपने–अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु ठोस और विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिकथनों से यह कतई साबित नही हो रहा है कि आलौच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड पर स्वामित्व व कब्जा किस पक्षकार का है। अतः वर्तमान स्थिति में जहाँ न तो पक्षकारों के पास स्वामित्व के दस्तावेज हैं और न ही ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड उपलब्ध है। यह निश्चित किया जाना न्यायोचित नहीं है कि उक्त भूखण्ड वास्तव में किस पक्षकार का है। इस स्थिति में गुण–दोष के आधार पर अंतिम निर्णय दिया जाना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होगा। इस हेतु आलोच्य पटटा संख्या 43 दिनांक 05.04.2018 को जारी किया है, को निरस्त करते हुए रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार कर प्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत भांडियावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा को निरस्त करते हुए प्रकरण को विकास अधिकारी बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं

जिला कलक्टर
बालोतरा

कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने और साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम मे विहित प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा